



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1933 (श10)
(सं0 पटना 281) पटना, शुक्रवार, 10 जून 2011

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

9 जून 2011

एस०ओ० 153, दिनांक 10 जून 2011-बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 36/1948) की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार-राज्यपाल, अधिसूचना संख्या एस०ओ० 148, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-1 के नीचे, एक नया क्रमांक-2 निम्नवत् जोड़ते हैं :-

तालिका

क्रमांक	व्यक्तियों के वर्ग	शर्तें एवं निर्बंधन
1.	2.	3.
2	विद्यमान इकाइयाँ जो अपनी क्षमता का विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करते हैं।	विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण से यह विमुक्ति केवल उनके इन्क्रीमेन्टल उत्पादन पर दिनांक 1 अप्रैल 2006 एवं 31 मार्च 2011 के बीच वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करनेवाली औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त होगी।

(2) उक्त अधिसूचना संख्या एस०ओ० 148, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

(3) यह अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2006 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिक्री-कर/विविध-04/2011-2183 (अनु०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजित पुनहानी,

आयुक्त-सह-सचिव।

9 जून 2011

एस0 ओ0 154, एस0ओ0153 .दिनांक 10 जून 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिक्री-कर/विविध-04/2011-2183(अनु०)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
आयुक्त-सह-सचिव।

The 9th June 2011

S.O. 153 dated 10th June 2011- In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act, 36/1948) the Governor of Bihar is pleased to add a new serial no. 2 below serial no. 1 of the table appended to the notification no. S.O. 148, dated 12th October 2006 as follows :

TABLE

Serial no.	Class of Persons	Conditions and Restrictions
1.	2.	3.
2	Existing units that make expansion / diversification / modernisation of their capacity.	This exemption from levy of electricity duty shall be available only on their incremental production for a period of seven years from the date of commencement of commercial production between 1st April 2006 and 31st March 2011

(2) The said notification no. S.O. 148, dated 12 th October 2006 shall stand amended to this extent.

(3) This notification shall come into force with retrospective effect from dated 12th October 2006.

Bikri kar/vividh-04/2011-2183(ANU)
By Order of the Governor of Bihar,
RAJIT PUNHANI
Commissioner-Cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 281-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>